विभाग/कार्यालय/उपक्रम का नामः संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल ।		
विभाग का नाम: मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।		
योजना का नाम: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन		
1	योजना का नाम, उपयोजनाओं (यदि कोई हो तो) के नाम सहित (यदि लागू हो तो कृप्या निम्नांकित जानकारी उपयोजनावार प्रेषित की जावे)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन National Urban Livelihoods Mission {NULM} प्रदेश के 55 शहरों में भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.10.2013 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा, जिसमें हितग्राही मूलक निम्न कार्यक्रम संचालित हैः– 1. स्वरोजगार कार्यक्रम–व्यक्तिगत–{I} 2. समूह ऋण/उद्यम –{G} 3. स्वरोजगार कार्यक्रम–बैंक लिंकेज {SHG} में बैंक द्वारा देय ऋण पर ब्याज अनुदान सहायता दी जायेगी। भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र K–14014/58/(10)/2012–SLSU–SNPUPR Dated 28-0-2014 व भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. K–14014/58/(10)/2012–SLSU–SNPUPR Dated 18-12-2014 संलग्न है, जिसके अनुसार हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है ।
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित हे ।	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 है ।
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) उत्तरदायी नोडल एजेन्सी है ।
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	शहर स्तर पर योजना क्रियान्वयन के लिये संबंधित निकाय नोडल एजेन्सी है ।
5	योजना का उद्देश्य	योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों/हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है । योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र

<table>
<tr><td></td><td></td><td>की बैंकों से ऋण वितरण उपरांत बैंक द्वारा मॉग पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाना है तथा विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों में हितग्राहियों को आवश्यकता होने पर उनके कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>क्या योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, यदि नही तो कृपया उन क्षेत्रों/ जिलों/ विकासखण्डों के नाम दर्शायें जाये जहां पर योजना क्रियान्वित</td><td>जी, नहीं निम्न 55 शहरों में क्रियान्वित की जायेगी ।
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>शहरों की जनसंख्या</th><th>प्रदेश के शहर का नाम</th><th>शहर की जनसंख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>10 लाख से उपर</td><td>इन्दौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर</td><td>04</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>5लाख से 10 लाख तक</td><td>उज्जैन</td><td>01</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>3 लाख से 5 लाख</td><td>सागर</td><td>01</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>1लाख से 3 लाख</td><td>देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाडा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर डबरा</td><td>27</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>जिला मुख्यालय वाले शहर 1 लाख से नीचे</td><td>शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सीहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बडवानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ, अलीराजपुर, अनुपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर</td><td>22</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल शहर</td><td>55</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>किस प्रकार हितग्राही योजना अंतर्गत सम्मिलित किये गये है । (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनु.जाति/अनू.जनजाति/अन्य</td><td>शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार सम्मिलित होंगे, जिसमें विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों को जिसमें मे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग/महिला/विकलॉग हितग्राहियों को</td></tr>
</table>

	पिछडे वर्ग/पुरूष/महिला आदि	लाभान्वित किया जायेगा ।
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड यदि कोई हो तो	हितग्राहियों के लिये यह आवश्यक है कि वह शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करता हो और शहर स्तर पर शहरी गरीब परिवारों के लिये किये गये सर्वे सूची में हितग्राही का नाम दर्ज होना आवश्यक है ।
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर अथवा व्यक्तिगत एवं समूह दोनो स्तर पर दी जाती है।	योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम में 1. स्वरोजगार कार्यक्रम–व्यक्तिगत उद्यम (I) 2. समूह ऋण/उद्यम–(G) 3.स्वरोजगार कार्यक्रम–बैंक लिंकेज (SHG) के अन्तर्गत लाभ दिया जाना है ।
10	प्रदान की जा रही अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधरित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे) दर (प्रतिशत) न्यूनतम/ अधिकतम भारत सरकार का अंशदान राज्य सरकार का अंशदान	इस योजना में स्वरोजगार कार्यक्रम में–व्यक्तिगत उद्यम के लिये रूपये 2.00 लाख एवं समूह ऋण–उद्यम सहायता हेतु रूपये 10.00 लाख तक बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिसमें शासन द्वारा 7 प्रतिशत से अधिक अन्तर राशि ब्याज अनुदान सहायता देय होगी। महिला स्वसहायता समूह को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता देय होगी । भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र K–14014/58/(10)/2012–SLSU–SNPUPR Dated 28-0-2014 व भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. K–14014/58/(10)/2012–SLSU–SNPUPR Dated 18-12-2014 संलग्न है, जिसके अनुसार हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है ।
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है ? यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये जानकारी प्रस्तुत की जावे	इस योजना में स्वरोजगार कार्यक्रम में–व्यक्तिगत उद्यम के लिये रूपये 2.00 लाख एवं समूह ऋण–उद्यम सहायता हेतु रूपये 10.00 लाख तक बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिसमें शासन द्वारा 7 प्रतिशत से अधिक अन्तर राशि ब्याज अनुदान सहायता देय होगी। महिला स्वसहायता समूह को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता देय होगी । भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र K–14014/58/(10)/2012–SLSU–SNPUPR Dated 28-0-2014 व भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. K–14014/58/(10)/2012–SLSU–SNPUPR Dated 18-12-2014 संलग्न है, जिसके अनुसार हितग्राहियों को

		लाभ दिया जाना है ।
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजना अंतर्गत अपेक्षित है	सभी प्रकार के लघु उद्यम व्यवसायों को सहायता प्रदान करना ।
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करे।	जी, हॉ, व्यक्तिगत समूह में अधिकतम दो लाख एवं समूह उद्यम में अधिकतम दस लाख की सीमा निर्धारित की गई है ।
14	क्या योजना अंतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है,	जी हॉ ।
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखायें (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये है	जी नहीं ।
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो	भारत सरकार के लक्ष्य प्राप्त होंने पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लक्ष्यों में कमी/वृद्धि/संशोधन किया जायेगा ।